प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 798 / 2022

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र साहबराम कासनिया जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. साहबराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 ,89 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**

श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांकः 08.05.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60 / 48 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60 / 56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87 / 82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व खाता स0 89 / 88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59 / 55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व रोही मौजा 6 केएम तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 80 / 70 की कुल 2.7080है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 12 केएम तहसील रावतसर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 111 / 110 की कुल 0.5060है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा व खाता स0 112 / 111 की कुल 3.7950है0 भूमि में से 1 / 4 हिस्सा तथा रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता स0 381 / 182 की कुल 5.9190है0 भूमि में से 949 / 29595 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है। प्रतिवादी सं0 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक सम्पति है। जिसमें [illegible] तथा प्रतिवादी स0 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा [illegible] प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार प्रतिवादी स0 1 ने उक्त वाद भूमि [illegible] से रोही मौजा थिराना [illegible] भूमि अपने नाम रख ली तथा अन्य वादग्रस्त भूमि वादीगण को दे दी । प्रतिवादी सं0 1 ने अन्य कृषि भूमि में अपना हिस्सा स्वीकार किया है। प्रतिवादीया स0 2 व 3 जो की वादीगण की बहिन है उपरोक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:37 IST
Reason: SelfAttested

...ण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है वह पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। हकत्याग के बाद वाद भूमि केवल वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के हक व हिस्सा की भूमि है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की प्रतिवादी स0 1 जो वादीगण का पिता है के नाम दर्ज भूमि को वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री सुबोध शर्मा ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश किया की वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 पेश किया गया की रोही मौजा रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60/48 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60/56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87/82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 89/88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59/55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि उपरोक्त सभी खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें एवं रावतसर तहसील की वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा एतराज जाहिर नही करने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया है।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुए पारिवारिक समझौते अनुसार रोही मौजा थिराना, 6 केएम एवं 12 केएम की वाद भूमि प्रतिवादी स0 1 स्वयं ने अपने नाम रख ली है तथा अन्य वादग्रस्त भूमि वादीगण को दे दी है। वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा स्वीकार किया जाकर जरिये अधिवक्ता जवाब ईकबाल पेश किया है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60/48 की कुल

2.0240है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60/56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87/82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 89/88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59/55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रस्तुत वाद में उक्त वाद भूमि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 के नाम उपरोक्त वाद भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी स0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। प्रतिवादी स0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वाद की सभी मदों को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल पेश कर निवेदन किया है कि यदि वाद वादीगण डिक्री फरमाया जाता है तो उन्हें कोई एतराज नही है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं साक्ष्य सबूतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा कि जाती है कि रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60/48 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60/56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87/82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 89/88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59/55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बराबर हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

यह निर्णय आज दिनांक 8/5/[illegible] प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:37 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–थालड़का

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 798/2022

अनवान : –

1. महेन्द्र सिंह पुत्र साहबराम कासनिया जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. मुकेश कुमार पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–वादीगण

बनाम्

1. साहबराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
2. सुमन पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री साहबराम जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर।

– प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री सुबोध शर्मा की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2074–2077 के खाता स0 60/48 की कुल 2.0240है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व रोही मौजा 5 केएम तहसील नोहर की जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 60/56 की कुल 0.759है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 के खाता स0 87/82 की कुल 0.2029है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा व खाता स0 89/88 की कुल 13.0928है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा तथा रोही मौजा 20 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 59/55 की कुल 3.2134है0 भूमि में से 1/4 हिस्सा में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 8/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष 2023 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–थालड़का

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:12:37 IST
Reason: SelfAttested